

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या 2151 / VII-3-19/04(01)-एम.एस.एम.ई./2018
देहरादून: दिनांक 02 नवम्बर, 2019
दिसम्बर

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1958/सात-2-18/04(01)-एम.एस.एम.ई./2018 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 से प्राख्यापित उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति, 2018 में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति क्रियान्वयन आदेश, 2019 प्राख्यापित करने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

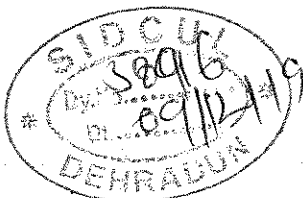
- (1) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा वैधता अवधि:
- (a) यह दिशा निर्देश/आदेश उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति क्रियान्वयन आदेश-2019 कहे जायेंगे।
- (b) इस आदेश के अन्तर्गत उत्तराखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माणक, ई0वी0 उपयोग संवर्द्धन और सम्बन्धित सेवा अवसंरचना नीति- 2018 में परिभाषित सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहत, लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा क्षेत्र के सभी उद्यम/परियोजनायें सम्मिलित हैं।
- (c) यह आदेश राज्य की मेगा औद्योगिक और निवेश नीति-2015, बृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 तथा एम0एस0एम0ई0 नीति-2015 के क्रियान्वयन हेतु जारी क्रियान्वयन आदेश/परिचालन दिशा-निर्देशों की पूरक है।
- (d) इस आदेश के अन्तर्गत सभी पात्र इकाईयां एम0एस0एम0ई0 नीति-2015, बृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 तथा मेगा औद्योगिक और निवेश नीति-2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए अर्हता के आधार पर दावा कर सकती हैं, यदि इस नीति में समान/समरूप शीर्ष/मद के अधीन कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।
- (e) नीति के क्रियान्वयन हेतु यह आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

(2) योजना का क्षेत्र:

यह आदेश, नीति के अन्तर्गत प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में समान रूप से लागू रहेंगे।

(3) परिभाषायें:

इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, बृहत उद्योग (श्रेणी-1), लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा परियोजना तथा इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी



घटक, ईवी बैटरी, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की परिभाषायें निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

- (a) **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)** से एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अभिप्रेत है, जो अपनी रिचार्जबल बैटरी में संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसे आम घरेलू बिजली द्वारा रिचार्ज किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रणोदन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। वाहन के प्रकार के आधार पर, रोटरी मोटर्स द्वारा संचालित पहियों या प्रोपेलर्स द्वारा या गतिशील मोटरों द्वारा ट्रैक किए गए वाहनों के मामले में गति प्रदान की जा सकती है। ईवी में औद्योगिक इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, पूर्ण आकार की इलेक्ट्रिक कार, वैन, बसें और अन्य इलेक्ट्रिक यात्री वाहन भी सम्मिलित हैं। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम संख्या 2(प) में दी गयी परिभाषा के अनुसार "बैटरी संचालित वाहन" का अर्थ सड़कों पर प्रयोग किये जाने के लिए अनुकूलित और अनन्य रूप से एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित वाहन से है, जिसकी संकषण ऊर्जा की आपूर्ति केवल वाहनों में लगायी गयी संकषण बैटरी से होती है।
- (b) **ईवी घटक** से ईवी प्रमुख के मोटर नियंत्रक, विद्युत इंजन (मोटर), पुर्नउत्पादक ब्रेकिंग, ड्राइव सिस्टम और संबंधित घटक/असेंबलीज, अभिप्रेत हैं।
- (c) **इलेक्ट्रिक-वाहन बैटरी (ईवीबी)** या संकषण बैटरी से ऐसी बैटरी अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के प्रणोदन को शक्ति देने के लिए उपयोग की जाती है। वाहन बैटरी आमतौर पर एक द्वितीयक (रिचार्जबल) बैटरी होती है। इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन 'एडवांस बैटरी' से न्यू जनरेशन लेड रहित बैटरी, जैसे: लिथियम पॉलिमर, लिथियम आयरन फॉस्फेट, निकल मेटल हाइड्रिड, जिंक एयर, सोडियम एयर, निकेल जिंक, लिथियम एयर इत्यादि, अभिप्रेत है।
- (d) **इलेक्ट्रिक वाहन और इसकी घटक विनिर्माण इकाई (ईवीएमयू)** में इलेक्ट्रिक वाहन व उनके घटक, जैसे: मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक किट इत्यादि के निर्माण/असेंबलिंग में शामिल सभी विनिर्माण उद्यम सम्मिलित हैं।
- (e) **ईवी बैटरी विनिर्माण (ईवीयू)** में सभी ईवी बैटरी विनिर्माण या असेंबलिंग इकाइयां सम्मिलित हैं।
- (f) **ईवी बैटरी घटक** से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए बैटरी पैक डिजाइन, जो कई यांत्रिक और विद्युत घटक प्रणालियों के संयोजन को सम्मिलित करते हैं तथा जो पैक के मूल आवश्यक कार्यों को निष्पादित करते हैं, अभिप्रेत है, बैटरी पैक में कुल वोल्टेज और विद्युत धारा प्राप्त

4

करने के लिए कई अलग-अलग सेल श्रेणी व समानांतर क्रम में संयोजित होते हैं। एक बैटरी में मॉड्यूल नामक छोटे स्टैक्स होते हैं, जिन्हें एक ही पैक में रखा जाता है। मॉड्यूल में शीतलन तंत्र, तापमान मॉनीटर, अन्य डिवाइस और बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) भी सम्मिलित है।

(g) ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिसे ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट, चार्ज पॉइंट और ईवीएसई (इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई उपकरण) भी कहा जाता है, एक बुनियादी ढांचे का एक तत्व अभिप्रेत है, जो विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति व बिजली के वाहनों की रिचार्जिंग करता है। चार्जिंग स्टेशन उपकरण में केवल फास्ट चार्जिंग स्टेशनों से संबंधित चार्जिंग पोस्ट, कैबिनेट चार्जिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण आदि के साथ एकीकृत स्वचालित स्वचालित चार्जिंग स्टेशन सम्मिलित है।

(h) ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निम्नलिखित चार प्रकार की चार्जिंग सुविधायें सम्मिलित हैं, अर्थात्:

(i) घरेलू उपयोगकर्ता सुविधा (व्यक्तिगत)।

(ii) सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा (सरकारी सुविधाएं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन इत्यादि)।

(iii) सामान्य चार्जिंग सुविधा (मॉल, आवासीय भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि)।

(iv) वाणिज्यिक चार्जिंग सुविधा (सड़क के किनारे, ईंधन स्टेशन आदि)।

(i) विनिर्माणक उद्यम से आशय उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम से है।

(j) सेवा उद्यम से आशय गतिशील सेवा प्रदान करने वाली इकाईयां/स्लो चार्जिंग स्टेशन और/या बैटरी स्वैपिंग स्टेशन इत्यादि अभिप्रेत है, इसमें ईवी और बैटरी की मरम्मत और रखरखाव के स्टेशन भी सम्मिलित हैं।

(k) सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईवी उद्यम से आशय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं. 27 वर्ष 2006) के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा में आने वाले ईवी उद्यमों से अभिप्रेत है।

(l) बृहद (श्रेणी-1) ईवी उद्यम से आशय ऐसे ईवी उद्यम से अभिप्रेत है, जहां विनिर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीनरी पर निवेश

रु. 10 करोड़ से रु. 50 करोड़ तक हो और सेवा प्रदाता गतिविधियों के सम्बन्ध में उपस्कर (equipment) में पूंजी निवेश रु. 5 करोड़ से रु. 50 करोड़ तक हो।

- (m) लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा उद्यम/परियोजनाओं से आशय मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2015 में परिभाषित लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा उद्यम /परियोजना अभिप्रेत हैं।
- (n) अचल परिसम्पत्तियों से आशय भूमि, भवन, प्लांट व मशीनरी तथा अन्य ऐसे उपकरण जो सीधे उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जैसे टूल्स, जिक्स, डाईज, मोल्ड्स, यूटिलिटीज एवं अन्य हैण्डलिंग उपकरण अभिप्रेत हैं।
- (o) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से आशय—
 - (i) किसी नई इकाई की स्थापना के पश्चात ऐसी तारीख जिसमें इकाई द्वारा स्वनिर्मित उत्पाद की प्रथम बिक्री का देयक जारी किया गया हो; अथवा
 - (ii) किसी विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के पश्चात ऐसी तारीख जिस पर विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद स्वनिर्मित उत्पाद के प्रथम बिक्री का देयक जारी किया गया हो, अभिप्रेत है;
- (p) (i) माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या-6 वर्ष 2017) की धारा-9 के अधीन उद्ग्रहीत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;
 - (ii) कुल शुद्ध एस0जी0एस0टी0 कर देयता से, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (B2C) को विक्रय किया गया हो, में से इनपुट टैक्स समायोजन के पश्चात प्रभार्य राज्य माल एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0), अभिप्रेत है;
- (q) सक्षम प्राधिकारी से क्रियान्वयन विभाग/अभिकरण के अधिकारी अथवा प्रतिनिधि, जिन्हें नीति के क्रियान्वयन के लिए इन दिशा-निर्देशों के अधीन विशिष्ट प्राधिकार सौंपे गये हैं, अभिप्रेत हैं;
- (r) संवितरण अभिकरण से आशय उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (संक्षिप्त में सिडकुल) अथवा उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड/जिला उद्योग केन्द्र या ऐसे अन्य अभिकरण/विभाग जिन्हें समय-समय पर इस हेतु पदाविहित किया जाय, अभिप्रेत है। यह अभिकरण अर्ह इकाईयों का लाभ/प्रोत्साहन/रियायत संवितरित/प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे और इकाईयों को समयान्तर्गत संवितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड की सरकार से अपेक्षित निधि की मांग/व्यवस्था के लिए

आवश्यक कदम उठाने हेतु मांग कर सकेंगे।

- (s) विद्युत अधिभार से उत्तराखण्ड विद्युत (अधिभार) अधिनियम (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 के अधीन देय विद्युत अधिभार/उपकर अभिप्रेत है;
- (t) नोडल अभिकरण: उद्योग निदेशालय में राज्य उद्योग मित्र अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा सिडकुल सभी आवेदन पत्रों को प्राप्त करने और आवेदनों तथा दावों की समुचित व समयबद्ध रूप से परीक्षण, संवीक्षा समिति की संवीक्षा हेतु दावों के अग्रसारण, जिला/राज्य स्तरीय समिति/राज्य प्राधिकृत समिति से दावों की स्वीकृति एवं स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे।
- (u) संवीक्षा समिति से मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट नीति-2015 के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशानिर्देशों के अधीन प्राप्त आवेदनों और दावों की संवीक्षा के लिए गठित समिति, अभिप्रेत है;

(4) वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायता:

- (a) ब्याज उपादान: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर देय ब्याज में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष तक एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स, रु. 10 करोड़ से रु. 50 करोड़ के बृहद उद्यमों तथा रु. 50 करोड़ से अधिक के लार्ज, मेगा व अल्ट्रा मेगा उद्यमों को निम्नानुसार अनुमन्य होगा:

i. एम0एस0एम0ई0 इकाईयां:

श्रेणी-ए	श्रेणी-बी व बी+	श्रेणी-सी	श्रेणी-डी
10 प्रतिशत अधिकतम रु. 8 लाख प्रतिवर्ष।	8 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 लाख प्रतिवर्ष।	6 प्रतिशत अधिकतम रु. 4 लाख प्रतिवर्ष।	5 प्रतिशत अधिकतम रु. 3 लाख प्रतिवर्ष।

ii. बृहत् उद्योग (श्रेणी-1):

सम्पूर्ण प्रदेश में 5 प्रतिशत अधिकतम रु. 3 लाख प्रतिवर्ष।

iii. लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनायें:

लार्ज प्रोजेक्ट्स	मेगा प्रोजेक्ट्स	अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स
7 प्रतिशत अधिकतम रु. 25 लाख प्रतिवर्ष।	7 प्रतिशत अधिकतम रु. 35 लाख प्रतिवर्ष।	7 प्रतिशत अधिकतम रु. 50 लाख प्रतिवर्ष।

4